समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
-: आदेश :-

श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को दिनांक 20.11.2013 को रात्रि करीब 8.40 बजे जिलाधिकारी, मधेपुरा से शराब के नशे में धुत होकर अभद्रतापूर्वक बात करने अंचल नजारत, घैलाढ से अग्रिम लेकर वापस नहीं करने एवं भू लगान की राशि अंचल नजारत में जमा नहीं करने के आरोप के लिये इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1156-2/स्था0, दिनांक 21.11.2013 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। अंचल अधिकारी, पुरैनी को श्री कुमार, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा निर्धारित किया गया। बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 10 के तहत निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया गया।

आरोपः-

1. अंचल कार्यालय, पुरैनी के ज्ञापांक 410-2 दिनांक 21.10.2013 द्वारा अंचल निरीक्षक/ सभी हल्का कर्मचारी, पुरैनी को आदेश दिया गया कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन पत्र को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन कार्यालय में शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि Expire न हो सके। पुनः अंचल कार्यालय, पुरैनी के ज्ञापांक 480-2 दिनांक 25.10.2013 द्वारा श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी हल्का संख्या-04 एवं 05 को आदेश दिया गया कि RTPS के तहत नामांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर जांच प्रतिवेदन अंकित कर कार्यवाह सहायक को ससमय समर्पित करें, परन्तु श्री अजय कुमार राजस्व कर्मचारी, द्वारा उक्त आदेश की प्रायः अवहेलना की गई, जिस कारण दाखिल खारिज संबंधी आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं हो सका है, तथा Expire होने की संभावना बनी रही। श्री कुमार के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई। उन्हें लिखित/ मौखिक कहने के वाबजूद भी वे आदेश की अवहेलना/ मनमानापन करते रहे। सरकारी सेवा के प्रति इनकी अभिरूची नगण्य रही है।
2. जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 1156-2/स्था0, दिनांक 21.11.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक 20.11.2013 को रात्रि करीब 8.40 बजे जिलाधिकारी, मधेपुरा के सरकारी मोबाईल नंबर- 9473191353 पर शराब के नशे में धुत्त होकर जिलाधिकारी से अभ्रदतापूर्वक बात की गई एवं श्री रविन्द्र कुमार यादव, राजस्व कर्मचारी, पुरैनी के स्थानान्तरण होने के उपरान्त अंचल में ही जमे रहने की बात की गयी। शराब के नशे में धुत्त होकर जिलाधिकारी से अभ्रदतापूर्वक बात करना सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकुल है। श्री कुमार के संदर्भ में जिला गोपनीय शाखा को गुप्त सूचना मिलती रही है कि वे प्रायः इस प्रकार की हरकतें अन्य पदाधिकारियों के साथ भी करते रहे हैं।

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा ने अपने ज्ञापांक 64/गो0, दिनांक 08.10.2013 के द्वारा दिनांक 27.09.2013 को अंचल कार्यालय, घैलाढ़ का किये गये निरीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित किया है कि श्री अजय कुमार राजस्व कर्मचारी मो0-1,27,000(एक लाख सत्ताईस हजार) रूपये अग्रिम अंचल नजारत घैलाढ़ से प्राप्त किया, लेकिन लौटाया नहीं गया। मो0-1,27,000(एक लाख सत्ताईस हजार) रूपये का अग्रिम अंचल नजारत से प्राप्त कर भी अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी के द्वारा भू लगान की राशि जमा की गई। लेकिन प्राप्त की गई अग्रिम राशि अंचल कार्यालय, घैलाढ़ में वापिस जमा नहीं की गयी। पुनः ज्ञापांक 75/गो0 दिनांक 22.10.2013 के द्वारा दिनांक 07.10.2013 को अंचल कार्यालय, मुरलीगंज का किये गये निरीक्षण टिप्पणी में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा ने प्रतिवेदित किया है कि श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी के द्वारा मो0 67,594 (सड़सठ हजार पाँच सौ चौरानबे) रूपये

भू-लगान की वसूली के उपरान्त अंचल नजारत मुरलीगंज में जमा नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि भू-लगान की राशि वसूली कर अंचल नजारत में जमा नहीं करना इनकी आदत सी बन गयी है, जो इनकी स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंधन को दर्शाता है।

3. श्री अजय कुमार (निलंबित) राजस्व कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश संबंधी आवेदन अंचल अधिकारी, पुरैनी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि श्री कुमार ने निलंबन संबंधी आदेश प्राप्त करने के उपरान्त आकस्मिक अवकाश संबंधी आवेदन कार्यालय में किसी को जानकारी दिये बिना डाक पंजी में रख दिया था। यह कार्य सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है तथा अनुशासनहीनता का द्योतक है। वे अंचल तथा हल्का मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहा करते हैं।
4. अंचल अधिकारी, पुरैनी के पत्रांक 178-2 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचित किया गया है कि श्री अजय कुमार राजस्व कर्मचारी द्वारा लगान वसूली का प्रतिवेदन अंचल कार्यालय, पुरैनी में जमा नहीं दिया गया है, तथा लगान वसूली की गई राशि भी अंचल नजारत में जमा नहीं की गई है।
5. इस कार्यालय के ज्ञापांक 1156-2 दिनांक 21.11.2013 तथा अंचल अधिकारी, पुरैनी के ज्ञापांक संख्या 512-2 दिनांक 5.12.2013 द्वारा श्री अजय कुमार को प्रभार सौंपने हेतु पत्र दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक श्री हेम कुमार झा, राजस्व कर्मचारी को प्रभार नहीं सौंपा है, जिस कारण राजस्व कार्य/आर0टी0पी0एस0 कार्य पूर्णरूपेण बाधित है।

निष्कर्षः- श्री कुमार बराबर शराब के नशे में रहते हैं तथा सरकारी राशि गबन करने की उन्हें आदत है। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी की नियुक्तिः-

श्री अजय कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय कार्यवाही का संचालन के लिये इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक 503-2/स्था0, दिनांक 01.07. 2014 द्वारा श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, पुरैनी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतब्यः-

श्री विनय कुमार सिंह संचालन पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा संचालन के उपरान्त प्रेषित अधिगम में आरोप संख्या 01, 03 अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-02,04 एवं 05 प्रमाणित पाया गया है।

द्वितीय कारण पृच्छा :-

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 1164-2/स्था0, दिनांक 30.12.2014 द्वारा श्री अजय कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई, जिसके संदर्भ में श्री अजय कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अंचल कार्यालय, पुरैनी के नाजीर को लगान का मो0 22000(बाईस हजार) रुपये जमा कर दिया है, उन्हें तीन वर्षो से वेतन नही मिला है एवं अंचल कार्यालय, घैलाढ़ का कुछ रुपये उनके पास है, जो उनके बैंक खाता लॉक रहने के कारण जमा नहीं कर सका है।

श्री अजय कुमार निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, पुरैनी के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 201-2/स्था0, दिनांक 27.02.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, पुरैनी/घैलाढ़/मुरलीगंज से श्री अजय कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी से वेतन लंबित रहने का कारण एवं अंचल कार्यालय का बकाया संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त आलोक में अंचल अधिकारी, मुरलीगंज ने अपने पत्रांक 193-2 दिनांक 18.04.2015 द्वारा सूचित किया है कि श्री अजय कुमार के पास अंचल कार्यालय, मुरलीगंज का बकाया नहीं है। अंचल कार्यालय पुरैनी ने अपने पत्रांक 417-2/स्था0, दिनांक 11.06.15 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री अजय कुमार लगान मद का 42000

(बियालीस हजार) रूपये वसूलनीय है। अंचल अधिकारी, घैलाढ़ ने अपने पत्रांक 385-2/सपत्र दिनांक 23.06.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी पर 77000(सतहत्तर हजार) रूपये अग्रिम बकाया है। इस प्रकार श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी के पास कुल 1,19,000 (एक लाख उन्नीस हजार) रूपये वसूलनीय है।

संचालन पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा श्री विनय कुमार सिंह, से प्राप्त अधिगम, अभिलेख, अंचल अधिकारी, पुरैनी, अंचल अधिकारी, घैलाढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री अजय कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के अवलोकनोपरान्त श्री अजय कुमार, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा निम्नांकित दण्ड अध्यारोपित किया जाता है:-

(1) तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

(2) अग्रिम एवं भू-लगान की बकाये राशि की वसूली करने का आदेश दिया जाता है।

(3) श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी को निन्दन की सजा दी जाती है तथा कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस तरह के पुनर्रावृति होने पर कठोरतम दण्ड दिया जायेगा।

(4) श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी के निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, जो अनुपस्थिति के अनुसार नियमानुसार भुगतेय होगी।

अंचल अधिकारी, पुरैनी को आदेश दिया जाता है कि भू लगान की बकाये राशि श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी के वेतन से कटौती कर वसूल करेंगे तथा अंचल कार्यालय, घैलाढ़ का बकाया अग्रिम राशि भी वसूल कर अंचल कार्यालय, घैलाढ़ में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी के सेवापुस्त में उपर्युक्त दण्ड की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
-सह-
समाहर्त्ता, मधेपुरा।

ज्ञापांक 878-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 21.12.2015

प्रतिलिपिः- श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी, पुरैनी/ अंचल अधिकारी, घैलाढ़ /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
-सह-
समाहर्त्ता, मधेपुरा।